



अभिलेख उपस्थापित।

प्रेम ठाकुर पिता स्व० मोती ठाकुर, निवास स्थान ग्राम-सिन्दूर, थाना-सदर, जिला-हजारीबाग द्वारा छोटानागपुर कारस्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अंचल-सदर हजारीबाग, मौजा-सिन्दूर, थाना नं०-160, खाता संख्या-20, प्लॉट संख्या-2374 रकवा 0.0550 एकड़ (5.50 डिसमिल) (पाँच दशमलव पाँच शून्य डिसमिल) भूमि अलका देवी पति प्रमोद ठाकुर, निवास स्थान सवैया, बेढ़ना, थाना-चौपारण, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री करने हेतु आवेदक एवं प्रस्तावित क्रेता का जाति, आवासीय प्रमाण-पत्र की छायाप्रति एवं भूमि संबंधी कागजात संलग्न करते हुए आवेदन समर्पित किया गया है। प्राप्त आवेदन के आलोक में परमिशन वाद संख्या-156/2023 प्रारम्भ कर कार्यालय पत्रांक 782/रा० दिनांक 25.02.2023 द्वारा अंचल अधिकारी, सदर को आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन एवं जाँच प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया।

अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग के पत्रांक 902 दिनांक 13.05.2023 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन, आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन एवं प्रस्तावित भूमि का ट्रेस नक्शा उपलब्ध कराया गया है। आम इस्तेहार में किसी भी व्यक्ति द्वारा आपत्ति दर्ज नहीं किया गया है। अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग द्वारा जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि -

विक्रेता एवं क्रेता पिछड़ा वर्ग के अन्तर्गत है, जो सी०एन०टी० से आच्छादित है एवं हजारीबाग जिला के निवासी हैं। आवेदित भूमि केवाला से हासिल है। भूमि रैयती खाते की है। खतियानी रैयत मो० मुरती पति धनी हजाम हैं। खतियान में भूमि का कुल रकवा 9.17 एकड़ दर्ज है। पंजी-11 अनुसार जमाबंदी रैयत द्वारा धारित कुल रकवा 3.87 एकड़ भूमि है। पंजी-11 के पृष्ठ संख्या-20/1 पर मो० मुरती वगै० के नाम से ऑनलाईन में जमाबंदी दर्ज है। लगान रसीद वर्ष 2021-22 तक निर्गत है। आवेदक की दादी वगै० जमाबंदी रैयत हैं। भूमि संयुक्त खाते की है। आवेदक घरेलु बँटवारा के अनुसार अपने हिस्से की भूमि बिक्री कर रहे हैं। बिक्री की अनुमति मिलने के पश्चात् संयुक्त खाते में रकवा 3.8150 एकड़ भूमि बचता है। विक्रेता को भूमि बिक्री करने का अधिकार है। प्रस्तावित भूमि भूदान/भू-अधिग्रहण क्षेत्र/प्रतिबंधित सूची/यन भूमि/सरकारी भूमि के अन्तर्गत नहीं है। साथ ही BLR Act Section 4h से मुक्त है। प्रश्नगत भूमि आवेदक के दखल कब्जा में है।

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आकार दिव्यणी
1	2	
	<p>प्रश्नगत भूमि का ट्रेस नक्शा प्राप्त है, जिसमें आवेदित भूमि को गुलाबी रंग से दर्शाया गया है एवं नक्शा में प्रस्तावित भूमि का चौहद्दी भी अंकित किया गया है।</p> <p>अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग द्वारा विक्रेता को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के तहत प्रश्नगत भूमि की बिक्री करने की अनुमति हेतु अनुशंसा की गयी है।</p> <p>उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग के अनुशंसा के आलोक में प्रेम ठाकुर पिता स्व० मोती ठाकुर, निवास स्थान ग्राम-सिन्दूर, थाना-सदर, जिला-हजारीबाग को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अंचल-सदर हजारीबाग, मौजा-सिन्दूर, थाना नं०-160, खाता संख्या-20, प्लॉट संख्या-2374 रकबा 0.0550 एकड़ (5.50 डिसमिल) (पाँच दशमलव पाँच शून्य डिसमिल) भूमि अलका देवी पति प्रमोद ठाकुर, निवास स्थान सवैया, बेढ़ना, थाना-चौघारण, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री हेतु अनुमति प्रदान की जाती है। साथ ही अभिलेख की कार्रवाई समाप्त की जाती है।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित</p> <p> अपर समाहर्ता, हजारीबाग।</p> <p> अपर समाहर्ता, हजारीबाग।</p>	